फैक्स/स्पीड पोस्ट

संचिका सं0-सी0/सी0आई0मिस0-4002/2014................/

बिहार सरकार

गृह विभाग

(विशेष शाखा)

प्रेषक

आमिर सुबहानी
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

जिला पदाधिकारी
बांका

पटना, दिनांक-...............................

विषयः- जिला पदाधिकारी, बांका को उनके पत्रांक-151/आ0प्र0, दिनांक 28.06.2016 के आलोक में वर्ष 1989-90 के भागलपुर साम्प्रदायिक दंगा में मृत/लापता व्यक्तियों के जीवित पेंशनधारी आश्रितों को दंगा पेंशन भुगतान हेतु मार्च, 2016 से फरवरी, 2017 तक 83 पेंशनधारियों के लिए याचित राशि 49,80,000.00 (उन्चास लाख अस्सी हजार रू) मात्र, मार्च, 2015 से फरवरी, 2016 तक 02 पेंशनधारियों के लिए याचित राशि रू० 1,20,000.00 (एक लाख बीस हजार रू0) मात्र एवं मार्च, 2014 से फरवरी, 2015 तक 01 पेंशनधारी के लिए याचित राशि रू० 60,000.00 (साठ हजार रू0) मात्र, अर्थात कुल सम्मिलित राशि रू० 51,60,000.00 (एकावन लाख साठ हजार रू0) मात्र के आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आपके पत्रांक-151/आ0प्र0, दिनांक 28.06.2016 के आलोक में निम्नवत् राशि के आवंटन की स्वीकृति दी जाती है:-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिला पदाधिकारी, बांका को पूर्व में आवंटन राशि।	भागलपुर साम्प्रदायिक दंगा में मृत/लापता व्यक्तियों के आश्रितों को पेंशन भुगतान हेतु जिला पदाधिकारी, बांका को वर्त्तमान में आवंटित राशि।	वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिला पदाधिकारी, बांका को कुल आवंटित राशि।
शून्य	रू० 51,60,000.00 (एकावन लाख साठ हजार रू0) मात्र	रू० 51,60,000.00 (एकावन लाख साठ हजार रू0) मात्र

2. उपरोक्त आवंटित राशि रू० 51,60,000.00 (एकावन लाख साठ हजार रू0) मात्र बजट शीर्ष 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघुशीर्ष-200-अन्य कार्यक्रम, मांग संख्या-22, उपशीर्ष -0004 दंगा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत, विपत्र कोड सं0-एन 2235602000004 के अन्तर्गत विषय शीर्ष-31 02 अनुग्रह अनुदान अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगी।

3. जिला पदाधिकारी, बांका के पत्रांक-151/आ0प्र0, दिनांक 28.06.2016 द्वारा वर्ष 1989-90 के भागलपुर साम्प्रदायिक दंगा में मृत/लापता व्यक्तियों के जीवित पेंशनधारी आश्रितों को दंगा पेंशन के मद में मार्च, 2016 से फरवरी, 2017 तक 83 पेंशनधारियों के लिए राशि रू० 49,80,000.00 (उन्चास लाख अस्सी हजार रू) मात्र, मार्च, 2015 से फरवरी, 2016 तक 02 पेंशनधारियों के लिए राशि रू० 1,20,000.00 (एक लाख बीस हजार रू0) मात्र एवं मार्च, 2014 से फरवरी, 2015 तक 01 पेंशनधारी के लिए राशि रू० 60,000.00 (साठ हजार रू0) मात्र की दी गई स्वीकृति के आलोक में कुल सम्मिलित राशि रू० 51,60,000.00 (एकावन लाख साठ हजार रू0) मात्र का आवंटन प्रदान किया जाता है।

कृ0पृ030

4. उपरोक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, बांका होंगे एवं राशि की निकासी जिला कोषागार, बांका से की जायेगी। वे राशि की निकासी के समय वित्त विभाग के परिपत्र सं0-4989/वी (2), दिनांक-16.05.2013 में निहित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

5. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561 दिनांक-17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी जिला पदाधिकारी, बांका की होगी।

6. जिला पदाधिकारी, बांका यह सुनिश्चित कर लेंगे की उनके द्वारा वर्ष 1989-90 भागलपुर साम्प्रदायिक दंगा पीड़ितों को पेंशन राशि का भुगतान पीड़ित के आश्रितों की पहचान कर की गई है।

7. राशि का भुगतान केवल एकाउन्ट पेई चेक/बैंक ड्राफ्ट द्वारा ही किया जायेगा। यदि आश्रितों का बैंक खाता नहीं है, तो जिला पदाधिकारी, बांका भुगतान के पूर्व आश्रितों का बैंक खाता खुलवाने की व्यवस्था करेंगे।

8. जिला पदाधिकारी, बांका का यह दायित्व होगा की भुगतान की गई राशि का व्यय विवरणी/उपयोगिता प्रमाण-पत्र गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को ससमय यानि वित्तीय वर्ष 2016-17 की समाप्ति के पूर्व निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे।

9. इस राशि का उपयोग जिला पदाधिकारी, बांका द्वारा वर्ष 1989-90 भागलपुर साम्प्रदायिक दंगा पीड़ितों को पेंशन राशि का भुगतान के लिए ही किया जायेगा। किसी अन्य योजना के खर्च पर विचलन नहीं किया जायेगा।

10. यदि किसी कारणवश जिला पदाधिकारी, बांका द्वारा उक्त राशि का भुगतान नहीं हो सके, तो उसका प्रत्यर्पण वित्तीय वर्ष 2016-17 की समाप्ति के पूर्व गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को निश्चित रूप से कर दिया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांकः-सी0/सी0आई0मिस0-4002/2014................/पटना,दिनांक..........................

प्रतिलिपिः- महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव

स्पीड पोस्ट
फैक्स

ज्ञापांकः-सी0/सी0आई0मिस0-4002/2014........./ पटना,दिनांक..........................

प्रतिलिपिः- प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, बांका /वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को दो प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांकः-सी0/सी0आई0मिस0-4002/2014................/पटना,दिनांक..........................

प्रतिलिपिः- उप सचिव, प्रशाखा-ए, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-ए, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को लेखा संधारण एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांकः-सी0/सी0आई0मिस0-4002/2014....6935..../पटना,दिनांक....25-7-16....

प्रतिलिपिः- आई0टी0प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.7.16

सरकार के प्रधान सचिव